

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषय:- जनपद-झांसी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम-गुलारा, तिलैथा एवं बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 6.2793 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 6.6873 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-3472/33-1, दिनांक 06.05.2022
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. प्रस्ताव में संलग्न किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि की वैधानिक स्थिति एक ही अभिलेख में कही पर आरक्षित व कही पर संरक्षित अंकित है तथा उसका क्षेत्रफल भी गलत अंकित है। अतः प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण कर सही वैधानिक स्थिति व क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुये प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु वनभूमि की वैधानिक स्थिति गलत अंकित है। अतः सही वैधानिक स्थिति अंकित संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
3. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रस्ताव संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र में अवधि 30 वर्ष अंकित है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक-(x) में अवधि 50 वर्ष अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः ऑनलाइन पार्ट-1 में सही अवधि 30 अंकित कर संशोधित ऑनलाइन पार्ट-1 प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। DSS Analysis प्रमाण पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शुद्ध क्षेत्रफल 13.06 हे० है, जबकि शुद्ध क्षेत्रफल 13.38 होना चाहिए, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कम है। अतः पर्याप्त वृक्षारोपण स्थल का चयन कर उससे सम्बन्धित अभिलेख एवं के०एम०एल० फाइल प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव में संलग्न किये गये Area Calculation में 6.2793 हे० संरक्षित एवं 0.408 हे० आरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र, प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र, ऑनलाइन पार्ट-2, हार्डकापी भाग-2 एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों में 6.2793 हे० आरक्षित एवं 0.408 हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जोकि विरोधाभास है। अतः समस्त अभिलेखों में सही वैधानिक स्थिति एवं क्षेत्रफल अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
7. परियोजना में 1 हे० से कम आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा ऑनलाइन पार्ट-1 व पार्ट-2 में 0.408 हे० गैर वनभूमि से सम्बन्धित विवरण एवं के०एम०एल० फाइल अपलोड है। अतः इसे ऑनलाइन से डिलिट करें।
8. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड नहीं की गयी है।
9. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में इस प्रस्ताव का प्राक्कलन न अपलोड करके हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित प्रस्ताव का प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जोकि गलत है। अतः इसे डिलिट कर सही प्राक्कलन अपलोड करें।
10. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में अपलोड किये गये समस्त अभिलेख हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित किसी अन्य प्रस्ताव के हैं, जोकि गलत है। अतः इसे ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट कर सही अभिलेख Additional Information Detail में यथास्थान पर अपलोड करें।
11. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-15 में अपलोड किया गया स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे डिलिट कर सही स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट यथास्थान पर अपलोड करें।
12. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति किसी हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प की अपलोड की गयी है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।

13. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में वन संरक्षक, झांसी द्वारा अपलोड किये गये पत्र में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति एवं प्रस्ताव सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः सही वैधानिक स्थिति अंकित कर संशोधित पत्र ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में संस्तुति सहित अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण पत्र ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट करें।
14. प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet & kml file ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में अपलोड नहीं है।
15. प्रस्ताव में संलग्न सीडी ब्लैक है। अतः इसे पृथक कर उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल भी अपलोड हो, पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।

उपरोक्त के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के द्वारा अत्यन्त लापरवाही पूर्वक एवं प्रस्ताव का बिना परीक्षण किये ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका परीक्षण आपके स्तर से भी नहीं किया गया है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है, जबकि प्रकरण शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं से आच्छादित है तथा इसकी समीक्षा लगातार उच्च स्तर पर की जा रही है।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 3224 / 11-सी-FP/UP/water/150514/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।